



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक

/2016 जिला दतिया

श्रीमति कैट के द्वारा आई

द्वारा आज दि 07-12-16 को  
प्रस्तुत

कैट ऑफ कॉर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

8/18  
07-12-16

जयेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व0 फेरन सिंह

रावत

निवासी रामनगर कॉलोनी दतिया म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ

स्टाम्पस दतिया म0प्र0

.....अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया द्वारा प्रकरण कमांक  
73/सी-132/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2016 के  
विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न लिखित निवेदन है :-

शासा प्रभारी (राज.)  
कार्यालय सहायिका, विधि  
यह कि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया द्वारा आवेदक के  
प्रकरण में जो आदेश दिनांक 07/12/2016 को पारित किया गया है वह  
अवैध अनूचित एवं विधि के अपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने  
योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया के न्यायालय में  
आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 03/09/2016 को इस आशय से  
प्रस्तुत किया कि केता श्री दिनेश पुत्र श्री गाधेश्याम सोनी निवासी मडिया के  
महादेव की गली दतिया तह. व जिला दतिया द्वारा विकेता जगदीश साहू पुत्र

16/3/18

आवेदन के जिम्मेदार  
मी उपरिको वृश्चाला अनुपस्थित  
हूँ, आवेदन रखने वाले कानूनिक  
संघर्ष - संघर्ष पर तीन  
जाए जावाज भरोवाई दाई  
जावेदन को हो से बोई उपस्थित  
गही दोनों से उत्तरण होदमा दैवत  
एं समाप्त किया जाए है। (जीम्मेदार)  
जीवान जावे। प्रकरण द.रि. ६।

[क. प. ड.]

राधानगर